



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 221 राँची, मंगलवार,

26 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 मार्च, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-345/2014-4851 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कानुराम नाग, झा0प्र0से0 द्वारा फर्जी अभिलेख के आधार पर अनुसूचित जनजाति अंतर्गत मुण्डा जाति (आरक्षित श्रेणी) का प्रमाण-पत्र बनवाकर 2nd J.P.S.C. परीक्षा के आधार पर गलत ढंग से झा0प्र0से0 में नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-7110, दिनांक 07.08.2015 द्वारा श्री नाग के विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. श्री नाग द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में रिट याचिका सं0-W.P.(S) 3400/2015 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2015 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-9455, दिनांक 29.10.2015 द्वारा श्री नाग के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को स्थगित किया गया।

4. श्री नाग द्वारा दायर रिट याचिका सं0-W.P.(S) 3400/2015 में दिनांक 18.01.2019 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसका आपरेटिव पार्ट निम्नवत् है-

"In view of the above submission made, the instant writ petition is dismissed as withdrawn."

5. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 18.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री नाग के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

6. तदनुसार एतद् द्वारा श्री नाग को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

7. श्री नाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

8. श्री नाग के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, चाईबासा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

9. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री कानुराम नाग, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KANURAM NAG 20080400097	श्री कानुराम नाग, झा0प्र0से0 विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
